

भवन निर्माण विभाग
कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना का कार्यालय
निविदा आमंत्रण सूचना, संख्या-18, वर्ष 2010-11

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना।
- 2 परिमाण-विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 05.08.2010 1.00 बजे अपराह्न तक।
- 3 निविदा प्राप्त की तिथि एवं समय : दिनांक 06.08.2010 3.00 बजे अपराह्न तक।
- 4 निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 06.08.2010 3.30 बजे अपराह्न।
- 5 परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : (क) मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग का कार्यालय, भ0नि0वि0, पटना।
: (ख) अंचल कार्यालय, दक्षिण बिहार भवन अंचल, पटना।
: (ग) प्रमंडल कार्यालय, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना।
: (घ) संबंधित अवर प्रमंडल कार्यालय, सचिवालय/उच्चाधिकारी/राजभवन पटना।
- 6 निविदा प्राप्त का स्थान : क्रमांक (5) के वर्णित स्थान (क), (ख) एवं (ग) पर।
- 7 कार्य का विवरणी :- :

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रुपया में)	अग्रधन की राशि (रुपया में)	परिमाण विपत्र का मूल्य(रु0)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	S/R to Residence No. 4 at Off Polo Road, Patna for the year 10-11	1.25	2,500.00	500.00	1 Months
2	S/R to Chamber of Principal Secretary Agriculture Production Department at Vikas Bhawan, Patna for the year 10-11	1.491	3,000.00	500.00	1 Months
3	S/R to Residence No. 2 (Main Building, Bath room, wardrobe Gate pillar & False ceiling) at Strand Road, Patna for the year 10-11	1.462	3,000.00	500.00	1 Months

8. परिमाण विपत्र प्राप्त हेतु आवेदन-पत्र के साथ अद्यतन आयकर प्रमाण-पत्र, वाणिज्य कर सफाया प्रमाण-पत्र, श्रम अनुज्ञप्ति पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र एवं भवन निर्माण विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति भी साथ रखें, जिससे कागजातों के सत्यापन के पश्चात ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।
9. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क करें या सूचना पट पर देखें।

विशेष शर्तें :

1. प्राक्कलित राशि कम या अधिक हो सकती है तदनुसार अग्रधन एवं परिमाण-विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती हैं।
2. परिमाण-विपत्र का मूल्य राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत वी0डी0 के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
3. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि डाकघर बचत पासबुक या डाकघर में जमा प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्षीय टी.डी. अथवा बिहार राज्य अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत-पत्र या किसान विकास-पत्र के रूप में देय होगा जो विधिवत् कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना के पदनाम से प्रतिष्ठित रहेगा।
4. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्त/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा।
5. सम्पादित कार्यों की आवासी प्रमाण-पत्र, विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. कार्य का एकरारनामा निधि उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
7. परिमाण-विपत्र सम्वेदक को स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ही निर्गत किया जायेगा। जिनका हस्ताक्षर या नमूना सम्वेदक द्वारा सत्यापित हो, अनिवार्य है।
8. बिना कारण बताये एक या सभी कार्यों को रद्द करने या एक से अधिक सम्वेदकों के बीच बॉटने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

कार्यपालक अभियंता
केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना

(सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है, धर्म ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।)

समाचार पत्र में प्रकाशित :- (दिनांक :- 29-07-2010)

1. **Dainik Jaagran, Patna**
2. **Pyari Urdu, Patna**
3. **Pratyush Nav Bihar, Patna**